न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00274

सुरेन्द्र कुमार शर्मा (सोरल) आत्मज श्री मूलनारायण जी शर्मा आयु 80 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी हाल 4 बी 12 आवासन मण्डल कॉलोनी, रंगबाडी कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. उप वन संरक्षक वन विभाग सिविल लाइन्स नयापुरा कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में दिनांक 22.11.1974 को वादी खसरा नम्बर 24 की रकबा 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । उक्त भूमि पर नामान्तरकरण संख्या 56 से वादी की गैर खातेदारी में दर्ज हुई । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट सम्पूर्ण खसरा नम्बर 24 के नये रकबे अन्य आराजियात के साथ खसरा नम्बर 04 व खसरा नम्बर 13 का रकबा 32.43 हैक्टर दर्ज किया गया । सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी को आवंटित आराजी के नये खसरा नम्बर 04 व 13 कायम कर उक्त भूमि को गैर मुमकिन जंगलात में दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था । वादी उक्त भूमि पर आवंटन की दिनांक 22.11.74 से काबिज काश्त है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के पुराने खसरा नम्बर 24 जिसके हाल मिन नम्बर 04 व 13 बने जिसके खसरा नम्बर 04 के कोने के हिस्से पर वादी काबिज है का खातेदार काश्तकार घोषित कियका जावे तथा उक्त

आराजीयात का इन्द्राज गैर मुमकिन जंगलात से हटाया जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 01 तहसीलदार लाडपुरा ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2014 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2014 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा में अपने निर्णय दिनांक 06.10.2015 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2015 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी को आंवटित हुई थी और आवंटन के बाद उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 56 के द्वारा वादी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई । वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर आवंटन के दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है । वक्त आवंटन उक्त भूमि सिवायचक थी । सेटलमेंट विभाग को किसी भी आराजीयात को अन्य के रिकॉर्ड में दर्ज करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.03.1976 के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए उक्त भूमि को वन विभाग के खाते दर्ज किया जाना सही मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 निरस्त फरमाया जावे।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी के द्वारा एक दावा हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील लाडपुरा में दिनांक 22.11.1974 को वादी को खसरा नम्बर 24 की 15 बीघा आराजी आवंटित हुई थी जिसका गैर खातेदार रहा है । जमाबन्दी संवत् 2032–35 में यह आराजी वादी की गैर खातेदारी में दर्ज थी । नामान्तरकरण संख्या 56 वादी के पक्ष में खोला गया था। वादी इस पर काबिज काश्त चला आ रहा है । सेटलमेंट विभाग ने वादी को सूचना दिये बिना इसके नये नम्बर 04 और 13 डाले और बिना किसी आधार के गैर खातेदारी को हटाकर गैर मुमकिन

जंगलात दर्ज कर दिया । आवंटन एवं नामान्तरकरण अपास्त नहीं किया गया है, कब्जा वादी का है । पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया था उसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष की गई थी जिसे स्वीकार करते हुए वन विभाग को पक्षकार बनाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । तनकीयात का निर्णय विधि–विरूद्ध रूप से किया गया है । सन् 1974 में आराजी सिवायचक थी और उसका आवंटन किया गया था । आवंटन के उपरान्त इस आराजी को गैर मुमकिन जंगलात दर्ज नहीं किया जा सकता । पेश की गई नजीरों का अवलोकन नहीं किया गया है । सन् 1976 के नोटिफिकेशन से अगर यह आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज हुई है तो उससे पूर्व ही आवंटन हो चुका है इस कारण वन विभाग के खाते दर्ज नहीं की जा सकती । अपीलान्ट ने आवंटन की समस्त शर्तों की पालना की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 44 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2032–35 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 24 की 15 बीघा आराजी सरेन्द्र कुमार सोरल के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 प्रदर्श–2 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 24 मिन, 25 मिन, 32 मिन एवं 33 मिन के हाल खसरा नम्बर 04 रकबा 49.54 कायम किये गये हैं और साबिक खसरा नम्बर 24 मिन, 34 मिन, 35 मिन के हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 32.43 हैक्टर कायम किये गये हैं । प्रदर्श– 3 नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 संलग्न है जिसके अनुसार गैर मुमकिन जंगलात के खाते में कुल 123 रकबा 1178.12 हैक्टर आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 13 का रकबा शामिल है। नकल नामान्तरकरण संख्या 56 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 24 में से 15 बीघा आराजी का वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6, आवंटन आदेश की प्रति प्रदर्श–7, नकल नक्शा ट्रेस साबिक खसरा नम्बर 24/32 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8, उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 16.11.77 की प्रति प्रदर्श–9, लगान प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–10, उपखण्ड अधिकारी के पत्र दिनांक 18.02.78 की प्रति प्रदर्श–11, खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–12, भूमि विकास बैंक का नो–ड्यूज प्रदर्श–13, भूमि विकास बैंक की रसीद प्रदर्श–14, नकल जमाबन्दी संवत् 2032–35 प्रदर्श– 15 संलग्न है जिसके अनुसार सुरेन्द्र कुमार सोरल की गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 24 की रकबा 15 बीघा भूमि दर्ज है ।

12. वादी की ओर से स्वयं के बयान पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान जगदीश प्रसाद डीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वन विभाग का जवाबदावा संलग्न है । इसके अलावा पत्रावली पर एक विज्ञप्ति दिनांक 01.03.76 भी संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 04 और 13 को वन विभाग के खाते दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 भी संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 04 और 13 वन विभाग के खाते में दर्ज है ।

15. पत्रावली पर जवाब तहसीलदार संलग्न है जिसके अनुसार आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण नामान्तरकरण संख्या 56 का अमल दरामद सेटलमेंट विभाग द्वारा नहीं किया गया । तहसीलदार के द्वारा अपने जवाब में यह भी कथन किया गया है कि वादी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । वन विभाग के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें यह भी कथन किया गया है कि कब्जा वन विभाग का है । वादी के द्वारा अपने कब्जे को सिद्ध करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है और जो नकल खसरा गिरदावरी संलग्न की है उसमें संवत् 2033 में आराजी पडत बताई गई है और संवत् 2034 में आराजी के कुछ भाग में तिल्ली, ज्वार एवं चारा होना अंकित किया गया है । यह खसरा गिरदावरी संवत् 2033 एवं 2034 की है । इसके बाद की कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं की गई है । इस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा सिद्ध नहीं कर पाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वादग्रस्त आराजी सन् 1976 में ही वन विभाग को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आवंटित की जा चुकी थी और हाल राजस्व रिकॉर्ड में आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि हाल खसरा नम्बर 04 साबिक खसरा नम्बर 24, 25 मिन, 32 मिन और 33 मिन से बना है और हाल खसरा नम्बर 13 साबिक खसरा नम्बर 24 मिन, 34 मिन और 35 मिन से बना है। वादी को आवंटित आराजी किस खसरा नम्बर में शामिल की गई है, यह पेश किये गये दस्तावेजात से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु आवंटी को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटी के द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की स्थिति में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं । आवंटी के द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष इस आशय का कभी कोई प्रार्थना पत्र पेश किया हो यह भी वादी ने अपने दावे में स्पष्ट नहीं किया है और न ही इस आशय का कोई दस्तावेज पेश किया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर वादी अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 बहाल रखा जावे ।

17. निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00274

सुरेन्द्र कुमार शर्मा (सोरल) आत्मज श्री मूलनारायण जी शर्मा आयु 80 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी हाल 4 बी 12 आवासन मण्डल कॉलोनी, रंगबाडी कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. उप वन संरक्षक वन विभाग सिविल लाइन्स नयापुरा कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 58/दावा/2011

सुरेन्द्र कुमार शर्मा (सोरल) आत्मज श्री मूलनारायण जी शर्मा आयु 80 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी हाल 4 बी 12 आवासन मण्डल कॉलोनी, रंगबाडी कोटा ।

——वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. उप वन संरक्षक वन विभाग सिविल लाइन्स नयापुरा कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 08.02.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री दीनानाथ गालव एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2019 बहाल रखा जावे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 08.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

8/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा